अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला..... सं0..... सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या<br>कीस तारीख<br>१ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>२ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में<br>टिप्पणी, तारीख–सहित<br>३ |
|---|---|---|
| 25/7/2019 | **न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा**<br>**भूमि विवाद अपील वाद संख्या 284 / 2012**<br>मो0 अलाउद्दीन एवं अन्य — अपीलार्थीगण<br>वनाम<br>मो0 तैयबुल हक एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण<br>–:आदेश:–<br>प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांकः 07.07.2012 ई० अंदर भू0 वि0 नि0 वाद संख्या–351 / 11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।<br>वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।<br>संक्षेप में मामला यह है कि अन्दर मौजा सहरसा, नगरपालिका वार्ड नं0 31 थाना नं0 189 तौजी नं0 3744, खेवट नं0 94 / 5, पु0 खाता 1633, 1632, खेसरा पु0 2323, 2324 रकबा 01 बीघा 04 कट्ठा से बने नया खाता नं0 336 नया खेसरा नं0 1056,1057 रकबा 45.05 प्रस्तुत वाद संबंधित है।<br>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह कथन करते है कि अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण प्र नगत विवादी भूमि को रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के स्वर्गीय दादा भोख अब्दुल पिता शेख हैदर द्वारा अपने नबालिग पुत्र शेख वाजूल के नाम निबंधित दस्तावेज दिनांक 01.05.34 ई0 को खरीदगी से हकदार एवं दखलकार होना बताते है। इसी खरीदगी भूमि को शेख अब्दुल द्वारा अपने तीनों दोख्तरान (1) मोसमात शामा बेगम (2) मसोमात मुन्ना बेगम एवं (3) मसोमात जून बेगम को रजिष्ट्री दान पत्र (हिब्बानामा) संख्या 8823 दिनांक 02.12.1963 ई0 को अपने तीनो पुत्रियों को हकदार एवं दखलकार बना दिये। इसी दानशुदा एराजी को जो इस वाद में विवादी भूमि है का दाखिल खारिज वाद संख्या 06 / 80–81 द्वारा भामा बेगम वगैरह के नाम जमाबन्दी नं0 5 कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। नामान्तरण वाद संख्या 06 / 80–81 के विरूद्ध रेस्पाण्डेन्ट / वादी के पिता वाजूल हक द्वारा अपील वाद संख्या 123 / 82–83 उप समाहर्त्ता, सहरसा के<br>82 / 83–84<br>न्यायालय में दाखिल किया गया जो खारिज हो गया। पुनः उक्त अपील वाद के विरूद्ध रेवेन्यू रिविजन वाद संख्या 130 / 83–84 माननीय आयुक्त, महोदय कोशी प्रमंडल सहरसा के समक्ष दाखिल किये जो दिनांक 29.04.1986 को | |

खारीज कर दिया गया।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण आगे यह भी कथन करते है कि वाजूल हक द्वारा रेस्पाण्डेन्ट/वादी के पक्ष में कोई भी निबंधित दस्तावेज नहीं किया गया कथित वसियतनामा माननीय जिला जज के यहाँ से प्रोवेट नहीं किया गया है। इसलिये वैसे वसियतनामा को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। आगे यह भी कथन करते है कि विवादी जमीन पुराना खाता 1533 पुराना खेसरा 2323 एवं पुराना खाता 1070 पुराना खेसरा 2361 की सम्पूर्ण रकबा की जमीन दान पत्र से मिला था, जिसमें से खाता पुराना 1633 खेसरा पुराना 2323 नया खेसरा 1056 का रकबा 04 कट्ठा एवं खाता पुराना 1070 खेसरा पुराना 2361 नया खेसरा 1037 का रकबा 01 कट्ठा 01 धूर अर्थात कुल रकबा 05 कट्ठा 01 धूर जमीन मो0 जफर एवं मो0 जकीउद्दीन को निबंधित केवाला दिनांक 05.06.83 को बिक्री कर दिया एवं मो0 जफर वगैरह के नाम जमाबन्दी नं0 65 एवं 70 रकबा 11 कट्ठा 02 धूर कायम हुआ। इसी जमाबन्दी से अपीलार्थीगण/प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 ने पुराना खेसरा 2323 नया खेसरा 1056 का रकबा 04 कट्ठा उत्तर की भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या 8547 दिनांक 05.06.84ई0 द्वारा प्राप्त कर दखलकार हैं जिस भूमि पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 का मकान अवस्थित है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 3 से 7 ने भी इसी पुराना खेसरा 2323 नया खेसरा 1056 रकबा 04 कट्ठा दक्षिण की भूमि खरीदगी दस्तावेज संख्या 8548 दिनांक 05.06.84 को प्राप्त कर दखलकार है एवं घर मकान बनाकर दखलकार है।

रेस्पाण्डेन्ट/वादी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कथन करते हैं कि मो0 तैयबूल हक पिता स्व0 वाजूल हक अपनी स्वत्व एवं अधिकार वाली दखलकार भूमि जो उक्त वाद में प्र नगत विवादी भूमि है, पर अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा नाजायज दाखिल खारिज वाद संख्या 1551/06–07, 1576/06–07 द्वारा जमाबंदी संख्या 145 एवं 151 कायम करवा कर रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 को अपने मकान मय सहन से उत्तर मुख्य सड़क पर जाने के रास्ता को अवरूद्ध कर देने तथा रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 की भूमि को बाजबर्दस्ती कब्जा कर लेने के वजह से एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 06/80–81 में पारित आदेश को रद्द करने एवं जमाबंदी संख्या 145 एवं 151 का रकबा 8 कट्ठा जो अपीलार्थी के नाम से कायम है को रद्द करते हुए रेसपाण्डेन्ट/वादी के नाम कायम जमाबन्दी संख्या 173 में शामिल कर रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 की उक्त जमाबंदी को अक्षुण रखने का का कथन किया गया है। लिहाजा इसके प्रश्नगत विवादी भूमि खाता पुराना 1633 खेसरा पुराना 2323 रकबा 19 कट्ठा 14 धूर एवं खाता पुराना 1632 पुराना खेसरा 2324 रकबा 4 कट्ठा 6 धूर भूमि अर्थात कुल रकबा 1 बीघा 4 कट्ठा भूमि रेस्पाण्डेन्ट नं0–1 के पिता– शेख शेख वाजूल हक पे0 शेख अब्दूल के नाम खरीदी निबंधित दस्तावेज दिनांक 01.05.1934 ई0 से प्राप्त है जो लगभग 80 वर्श पूर्व निबंधित केवाला है जिसे इतने वर्षो बाद रद्द नहीं किया जा सकता हैं जो कालबाधित है। उक्त केबाला के आधार पर वर्श 1980 अर्थात दिनांक 06.02.80 ई0 को शेख वाजूल हक ने अपने एक मात्र पुत्र रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 को निबंधित वसियतनामा बना दिए। मुताबिक बसियतनामा के दाखिल खारिज वाद संख्या ––182 / 06–07 के अनुसार जमाबन्दी संख्या 25, सुधार होकर

2008

जमाबंदी नं: 173 नाम से रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 कायम हुआ, जिससे रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 को बिहार सरकार में टिनेन्सी राईट हासिल हुआ। अद्यतन मालगुजारी रसीद रेसपोण्डेन्ट/वादी को प्राप्त है।

साथ ही रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी भेन्डर मसोमात शामा बेगम पति असमत खॉ, मुन्ना बेगम पति आविद अली, जून बेगम पति जैनुल तीनों द्वारा रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के पिता वाजूल हक के बीच दफा 144 द0 प्र0 सं0 के अन्दर विविध वाद संख्या 615/83 की कार्रवाई भी चली, जिसका निर्णय रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के पिता स्व0 वाजूल हक के पक्ष में हुआ।

नगर सर्वेक्षण कम में भी प्रश्नगत भूमि को लेकर अपीलार्थी के भेन्डर एवं रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 वाजूल हक के बीच सर्वे न्यायालय, सहरसा में मुकदमा नं0 36बी0/82 चला जिसका आदेश दिनांक 29.04.1985 ई0 को

रेस्पोण्डेन्ट के पिता वाजूल हक के नाम नया खाता इन्द्राज करने का आदेश हुआ जो अभिलेख पर रक्षित होने का कथन रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश के अनुसार नगर सर्वेक्षण की कार्यवाही समाप्त होकर अन्तिम प्रकाशित नया खतियान दिनांक 15.05.1989 ई0 को रेस्पोण्डेन्ट नं01 के स्वर्गीय पिता –शेख वाजूल हक के नाम से इन्द्राज हुआ जिससे last record of right रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 को हासिल हुआ उक्त आदेश के विरूद्ध सर्व न्यायालय के अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसमें उक्त आदेश को ही बरकरार रखा गया।

आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत विवादी खेसरा 1057 के पश्चिम चौहद्दी में सटा हुआ आवेदक का आवासीय मकान है जो वर्तमान में अर्द्धनिर्मित है। विवादी खेसरा 1056 में पूर्व से आंगन था एवं इसी नया खेसरा होकर आंगन से निकलने का रास्ता एवं 1057 की भूमि पर बने घर से निकलने एवं उत्तर की ओर सड़क पर आने–जाने के मार्ग के रूप में व्यवहार में लाने की बात को बतलाये हैं। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा पूर्व ऑगन की भूमि विवादी खेसरा नं0 1056 रकबा 9 क0 15 धूर भूमि का एक जाल दस्तावेज दिनांक 27.05.2005 ई0 एवं 25.11.2006 को बनवा लिया जिसकी कुछ भी पायबंदी मॉ रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 को ना है वो ना कानूनन हो सकती है वो उसी जाल फरेब दस्तावेज के आधार पर जोर जबर्दस्ती रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के गैयवाने में दिनांक 28.05.2009 को अपीलकर्त्ता द्वारा चहारदिवारी देकर रेस्पोण्डेन्ट नं0 1 के घर जाने के रास्ता को अवरूद्ध कर दिया।

मसोमात जून बेगम पति जैनुल एवं मो0 हलीम पिता जैनुल वास्ते रेस्पोण्डेन्ट बनाने एवं ता0 11.10.12 को आवेदन दिया जो अभिलेख पर रक्षित है जिसे बहस के दौरान सुना।

रेस्पोण्डेन्ट /विपक्षी नं0 –2 मो0 रफीक पिता स्व0 हसमत खॉ वो मॉ शामा बेगम द्वारा लिखित जबाब के द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पोण्डेन्ट नं0–01 के दावे को समर्थित करते हैं जिससे परिलक्षित होता है कि रेस्पोण्डेन्ट नं0–01 का दावा सही है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात/दाखिल लिखित जबाब का अवलोकन किया। इस प्रकार उपरोक्त उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकनोपरान्त यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अपील Complex question of Title से संबंधित है इसलिए अपीलकर्त्ता के दावा को अस्वीकृत किया जाता है। अतः इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सं ोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा